न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 419/2017/225 आर टी ए

औमप्रकाश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी माणकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. साहबराम पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी माणकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी माणकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पत्नि मनोजकुमार पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. प्रहलाद पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी माणकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा
प्र0सं0 62/2015 अनवानी औमप्रकाश बनाम साहबराम आदि

उपस्थित :–
श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि चक 5 बीआरपी के खाता सं. 55 व खाता सं. 72 मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे जारी करने का अनुतोष चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.2015 को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे व रेस्पो0 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जिसके बाद रेस्पो0 की तलबी की गई जिससे दिनांक 24.11.15 को रेस्पो0 सं. 1, 2 व 3 व दिनांक 28.03.16 को रेस्पो0 सं. 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। जिसके बाद पत्रावली जबाव स्टेट पर चल रही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान के अन्तर्गत पत्रावली मे बिना कोई राजीनामा होने के बावजूद पत्रावली को पेशी मे लेकर पत्रावली का निर्णय बिना जबाव स्टेट प्राप्त किये विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 10.07.2017 को विवादित आदेश इस आशय का पारित किया कि आगामी पेशी तक अप्रार्थी सं. 1 ताफैसला दावा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थी/अपीलांट की मुताबिक प्रार्थना पत्र मौका की यथास्थिति के निवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेंटस सं. 1 ता 4 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित अनुसार अपीलांट कृषि भूमि का हकदार व मालिक है तथा कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0 ने अपीलांट के खिलाफ एक गुट बना लिया है जो अपीलांट को क्षति पहुचाने पर आमादा है। अपीलांट के कब्जा काश्त की उक्त भूमि मे दखल अंदाजी करने पर उतारू है। अपीलांट ने अपने पक्ष मे पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सभी बिन्दू प्रार्थी/ अपीलांट के पक्ष मे होने का कथन किया था व साथ ही भू–अभिलेख संबंधी जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये जिन पर कोई विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे मात्र रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर, प्रार्थी के मौका की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन को खारिज कर दिया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के कैम्प मे केवल

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

राजीनामा के तहत ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाना था। अपीलांट के प्रकरण मे कोई राजीनामा नही हुआ है जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प मे पेशी ली जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 07.12.2017 को ही उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। प्रार्थी को दिनांक 01.12.2017 को ही उक्त निर्णय का ज्ञान हुआ। इसलिये ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करें।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम से दर्ज है तथा अपीलांट का तर्क है कि उक्त भूमि पूर्व मे अपीलांट के दादा लालूराम के नाम से दर्ज थी जो विरासतन अपीलांट के पिता रेस्पो0 सं. 1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमे अपीलांट का मुताबिक हिन्दू विधि हक व हिस्सा बनता है। इसी की घोषणा का दावा प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष मे जारी करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 1/रेस्पो0 सं. 1 को ताफैसला वाद प्रार्थी की हद तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। जबकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है, जिसमे अपीलांट अपना हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने हिस्सा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है परन्तु कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये और ना ही हाजा न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद घोषणा हेतु विचाराधीन है जिसमे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हको का निर्धारण दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर किया जाना आपेक्षित है। परन्तु वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज होने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुये मूल वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थी/अपीलांट के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाना उचित मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़